

समाहरणालय,पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी
(जिला विधि प्रशाखा)

अभियोजन स्वीकृत्यादेश:-

घोड़ासहन थाना काण्ड सं०-239/18, दिनांक-20.06.2018, धारा-193, 196, 197, 199, 299, 201, 420, 409 भा०द०वि० प्राथमिकी अभियुक्त दीनबंधु पाण्डेय, पिता-स्व० विद्याधर पाण्डेय, साकिन-परसौनी, थाना-नौतन, जिला-पश्चिम चम्पारण, बेतिया वर्तमान राजस्व कर्मचारी, घोड़ासहन के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 398/अप०शा०(विधि) दिनांक 02.02.2019 से प्राप्त प्रस्ताव तथा उसके साथ संलग्न पु०अ०नि०, घोड़ासहन थाना के प्रतिवेदन दिनांक 31.12.2018 एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, शिकरहना ढाका के पर्यवेक्षण टिप्पणी ज्ञापांक 1394 दिनांक 17.07.2018 का अवलोकन किया। पुलिस प्रतिवेदन के साथ संलग्न प्राथमिकी एवं जप्ति सूची के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

अतः मैं रमण कुमार, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा- 193, 196, 197, 199, 299, 201, 420, 409 भा०द०वि० एक्ट के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय के मुहर के साथ जारी किया गया है।

९१०

(रमण कुमार)

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

ज्ञापांक:- /विधि, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक,पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/थानाध्यक्ष, घोड़ासहन थाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

९१०

(रमण कुमार)

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

ज्ञापांक:- 592 /विधि, दिनांक:- 28.02.19

प्रतिलिपि:-जिला अभियोजन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० प्रबंधक, पूर्वी चम्पारण को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

२७.२.१९

(रमण कुमार)

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।